मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

(मंत्रालय)

क्रमांक 434/1255/चार/ब-6/95 भोपाल, दिनांक 23 मई, 1995

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश .

विषय :- शासकीय सेवकों को चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत करने बाबत्.

संदर्भ :-वित्त विभाग का ज्ञापन क्र. जी. 3/2/94/सी/चार, दिनांक 8-12-94

राज्य शासन ने संदर्भित ज्ञापन द्वारा शासकीय सेवकों को चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत करने के अधिकार विभागाध्यक्षों को प्रत्यायोजित करते हुए उसकी प्रक्रिया एवं निर्देश जारी किये हैं. उक्त प्रसारित परिपत्र की कंडिका 1 के अनुसार अग्रिम की राशि 80% से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा कंडिका 4 के अनुसार रुपये 25,000/- से अधिक के अग्रिम के मामले में संचालक, चिकित्सा शिक्षा की अनुशंसा एवं व्यय का आकलन पत्र (Estimate) प्रस्तुत किए जाने चाहिए. परन्तु प्राय: यह देखने में आ रहा है कि विभागाध्यक्षों द्वारा उक्त निर्देशों का समुचित रूप से पालन नहीं किया जा रहा है तथा वित्त विभाग से आवंटन प्राप्त किए बगैर ही स्वीकृति आदेश जारी किये जा रहे हैं.

2. राज्य शासन अपेक्षा करता है कि विद्यमान निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाय तथा आवंटन हेतु वित्त विभाग को मांग पत्र भेजते समय प्रत्येक मामले में, यदि अग्रिम की राशि रुपये 25,000/- से अधिक हो तो संचालक, चिकित्सा शिक्षा की अनुशंसा एवं व्यय का आकलन पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किए जाएं, प्रत्येक मामले में 80% राशि की ही मांग की जाय तथा वित्त विभाग से आवंटन प्राप्त होने के बाद ही स्वीकृति आदेश जारी किए जायें.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(टी. आर. सूर्य)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग
दूरभाष 551861

पृ. क्र. 435/1255/चार/ब-6/95 भोपाल, दिनांक 23 मई, 1995

प्रतिलिपि :--

1. राज्यपाल के सचिव/सैनिक सचिव, मध्यप्रदेश भोपाल.
2. सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश इन्दौर.
3. नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश भोपाल/लोकायुक्त मध्यप्रदेश भोपाल.
4. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय तथा महालेखाकार (आडिट) प्रथम एवं द्वितीय मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित.
5. सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल.
6. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ

हस्ता./-
(आर. एन. पचौरी)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.